गोदरेज पेसिफिक टेक. लिमिटेड

बनाम

कंप्यूटर ज्वाइंट इंडिया लिमिटेड

(आपराधिक अपील संख्या 1181/2008)

30 जुलाई 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति हरजीत सिंह बेदी जेजे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 311 उद्देश्य, प्रकृति और दायरा- गवाह की पुनः परीक्षा की मांग- नीचे की न्यायालयों द्वारा खारिज- अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः प्रकरण के तथ्यों में, गवाह की पुनः परीक्षा की अनुमति दी जानी चाहिए थी- प्रावधान का उद्देश्य मूल्यवान साक्ष्य लाने में किसी भी पक्ष की भूल के कारण न्याय की विफलता को बचाना है- यह प्रावधान बहुत व्यापक शक्तियां देता है और सी.आर.पी.सी. के तहत समस्त कार्यवाहियों, जांच और विचारण पर लागू होता है।

अपीलकर्ता ने धारा 311 सीआरपीसी के तहत गवाहों की पुनः परीक्षा की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया, उच्च न्यायालय ने खारिजी को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. मामले के तथ्यों को देखते हुए, विचारण न्यायालय को अपीलकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं करना चाहिए था। [पैरा 12] [577 बी-सी]

2.1 सीआरपीसी की धारा 311 का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि बहुमूल्य साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लाने में किसी पक्ष की भूल के कारण अथवा किसी भी पक्ष की और से

परीक्षित गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने के कारण न्याय की विफलता नहीं हो सकती है। निर्धारक कारक यह है कि क्या यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य न केवल अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से बल्कि व्यवस्थित समाज के दृष्टिकोण से भी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाना है। [पैरा 8 और 10] [575 ई-एफ 576 एफ-जी]

2.2 धारा 311 सी.आर.पी.सी. सुस्पष्ट रूप से दो भागों में है। पहले भाग में जहां प्रयुक्त शब्द ''हो सकता है'' है, वहीं दूसरे भाग में ''करेगा शब्द का प्रयोग किया गया है। परिणामस्वरूप, पहला भाग एक आपराधिक न्यायालय को पूरी तरह से विवेकीय अधिकार देता है और सी.आर.पी.सी. के तहत जांच, परीक्षण या कार्यवाही के किसी भी चरण में न्यायालय को सक्षम बनाता है -

(ए) किसी को गवाह के रूप में बुलाने के लिए, या

(बी) न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, या

(सी) किसी भी व्यक्ति को जिसकी साक्ष्य पहले ही दर्ज की जा चुकी है, फिर से बुलाने और फिर से परीक्षा करने के लिए।

दूसरी ओर, दूसरा भाग अनिवार्य है और न्यायालय को उपरोक्त कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर करता है यदि नए सबूत मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक लगते हैं। [पैरा 7] [574 जी-575-बी]

2.3 यह एक पूरक प्रावधान है जो न्यायालय को सक्षम बनाता है, और कुछ परिस्थितियों में न्यायालय पर एक महत्वपूर्ण गवाह की परीक्षा करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है जिसे अन्यथा उसके सामने नहीं लाया जाएगा। यह यथासंभव व्यापक शर्तों में समाहित है और इसमें किसी सीमा की आवश्यकता नहीं है, न तो उस स्तर के संबंध में जिस स्तर पर न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए,

या न ही उस तरीके के संबंध में जिसमें इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह धारा एक सामान्य धारा है जो सी.आर.पी.सी. के तहत सभी कार्यवाहियों, जांच और विचारण पर लागू होती है और मजिस्ट्रेट को ऐसी कार्यवाही, जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी गवाह को समन जारी करने का अधिकार देती है। इस धारा में, महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति यह है कि "इस संहिता के तहत किसी भी जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर"। हालांकि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जबकि यह धारा गवाहों को बुलाने पर न्यायालय को बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करती है, प्रदत्त विवेक का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि शक्ति जितनी व्यापक होगी, न्यायिक मस्तिष्क लागू करने की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। [पैरा 7 और 8] [575 बी-एच 576-ए]

2.4 यह न केवल विशेषाधिकार है, बल्कि न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य भी है कि वह उन गवाहों की जांच करे, जिन्हें वह राज्य और विषय के बीच न्याय करने के लिए नितांत आवश्यक समझता है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सभी विधि पूर्ण तरीकों से सत्य तक पहुंचे और ऐसे साधनों में से एक साधन जब कुछ स्पष्ट कारणों से कोई भी पक्ष उन गवाहों को बुलाने के लिए तैयार नहीं होता है जो महत्वपूर्ण सुसंगत तथ्य बताने की स्थिति में हैं, अपनी मर्जी से गवाहों की परीक्षा करना है। नया साक्ष्य आवश्यक है या नहीं यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए, और इसका निर्धारण पीठासीन न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए। [पैरा 7 और 9] [575 सी डी 576-एफ]

जमातराज केवलजी गोवाणी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1967 (3) एस.सी.आर. 415; जाहिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2006 (3) एस.सी.सी. 374 पर भरोसा किया गया।

न्यायिक दृष्टांत संदर्भः-

1967 (3) एससीआर 415 भरोसा किया (पैरा 10)

2006 (3) एससीसी 374 भरोसा किया (पैरा 11)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1181/2008।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के फौजदारी विविध संख्या 19213/2005 का क्रमांक 19213 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.8.2006 से।

अपीलकर्ताओं के लिए रमन के. शर्मा, राजेश के. शर्मा और शालू शर्मा।

प्रत्यर्थी के लिए विश्वजीत भट्टाचार्य, रंजन मुखर्जी।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉक्टर अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई ।

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश को दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता के उस आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के संदर्भ में पहले से जांचे गए गवाहों की दोबारा जांच की मांग की गई थी ।

3. आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि शिकायत 19.12.1996 को दायर की गई थी। साक्ष्य 11.3.2004 को बंद कर दी गई थी। सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत परीक्षा 12.7.2004 को समाप्त हुई। उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत था।

4. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि गवाह श्री दीपक जोशी का मुख्य परीक्षण 29.7.2003 को किया गया था। उस विशेष तिथि पर अभियुक्त के वकील ने आपत्ति ली थी कि आवेदक का वकील भ्रामक प्रश्न पूछ रहा था। इसलिए विचारण न्यायालय ने गवाह को अपना बयान देने का निर्देश दिया था और एक आम आदमी के रूप में उसने अपना बयान दिया था। लेकिन अनजाने में उसने संबंधित दस्तावेजों यानी चेक, चेक रिटर्निंग मेमो, विधिक नोटिस, कूरियर रसीद, शिकायतकर्ता बैंक से पत्र को साबित नहीं किया था, जबकि उपरोक्त में से कुछ दस्तावेजों को परिवादी के अलावा अन्य गवाहों द्वारा पहले ही साबित किया जा चुका था।

5. प्रत्यार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायालय के आदेशों का समर्थन किया।

6. इस संदर्भ में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का संदर्भ लिया जा सकता है जो इस प्रकार हैः

> ‘‘311. महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने, या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति- कोई भी न्यायालय इस संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है, या उपस्थित किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है, चाहे वह गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो या पहले से ही परीक्षित किसी भी व्यक्ति को पुनः बुला कर पुनः परीक्षित कर सकता है और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और परीक्षा करेगा या फिर से बुलाएगा और फिर से परीक्षा करेगा यदि उसकी साक्ष्य मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होती हो।

7. यह धारा स्पष्ट रूप से दो भागों में है। जहाँ पहले भाग में प्रयुक्त शब्द "हो सकता है" है, वहीं दूसरे भाग में "करेगा शब्द का प्रयोग किया गया है। परिणामस्वरूप, पहला भाग फौजदारी न्यायालय को पूरी तरह से विवेकीय अधिकार देता है और उसे जांच, विचारण या कार्यवाही के किसी भी चरण में सक्षम बनाता है-

(ए) किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने के लिए, या

(बी) न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, या

(सी) किसी भी व्यक्ति को फिर से बुलाने और फिर से जांच करने के लिए जिसकी साक्ष्य पहले ही दर्ज की जा चुकी है। दूसरी ओर, दूसरा भाग अनिवार्य है और न्यायालय को उपरोक्त कोई भी कदम उठाने के लिए विवश करता है यदि नए सबूत मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक लगते हैं। यह एक पूरक प्रावधान हैं जो न्यायालय को सक्षम बनाता है, और कुछ परिस्थितियों में न्यायालय पर एक महत्वपूर्ण गवाह, जिसे अन्यथा उसके सामने नहीं लाया जाएगा, की जांच करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है। इसे व्यापक संभव शर्तों में शामिल किया गया है और इसमें किसी सीमा की आवश्यकता नहीं है, न तो उस स्तर के संबंध में जिस स्तर पर न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या जिस तरीके से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह न केवल विशेषाधिकार है, बल्कि न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य भी है कि वह उन गवाहों की जांच करे, जिन्हें वह राज्य और विषय के बीच न्याय करने के लिए नितान्त आवश्यक मानता है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सभी वैध तरीकों से सच्चाई तक पहुंचे और ऐसे तरीकों में से एक तरीका, जबकि कुछ सुस्पष्ट कारणों से कोई भी पक्षकार ऐसे गवाहों को जो प्रासंगिक तथ्यों के बारें में सत्य बोलने की स्थिति में हैं, को परीक्षण हेतु बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं, को न्यायालय में परीक्षण हेतु बुलाना हैं।

8. संहिता की धारा 311 का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि मूल्यवान साक्ष्य को रेकर्ड पर लाने में किसी भी पक्ष की गलती या किसी भी पक्षकार की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने के कारण न्याय में विफलता नहीं हो सकती है। निर्धारक कारक यह है कि क्या यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। यह धारा केवल अभियुक्तों के लाभ तक ही सीमित नहीं है, और इस धारा के तहत किसी गवाह को केवल इसलिए बुलाना कि वह अभियोजन के मामले का समर्थन करता है, अभियुक्त का नही, न्यायालय की शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं होगा। यह धारा एक सामान्य धारा है जो संहिता के तहत सभी कार्यवाहियों, जांच और विचारणों पर लागू होती है और मजिस्ट्रेट को ऐसी कार्यवाही, विचारण या जांच के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी गवाह को सम्मन जारी करने का अधिकार देती है। धारा 311 में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, ''किसी भी जांच या परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर''। यद्यपि यह ध्यान में रखने की बात है कि चूंकि यह धारा गवाहों को बुलाने की न्यायालय को एक बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करती है, प्रदत्त विवेकाधिकार का न्यायिकपूर्ण प्रयोग किया जाना है, क्योंकि शक्ति जितनी व्यापक होती है न्यायिक मस्तिष्क को लागू करने की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है।

9. जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह धारा पूरी तरह से विवेकाधीन है। इसका दूसरा भाग मजिस्ट्रेट पर एक बाध्यता अधिरोपित करता हैः वह यह है कि न्यायालय उन सभी व्यक्तियों को बुलाएगा और उनकी परीक्षा करेगा जिनकी साक्ष्य मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होती है। साक्ष्य के कानून में यह एक प्रमुख नियम है कि सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में ''साक्ष्य अधिनियम) की धारा 60, 64 और 91 इस नियम पर आधारित हैं। न्यायालय सशक्त नहीं है कि वह संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन या बचाव पक्ष के किसी विशिष्ट साक्षी को परीक्षित करवाने के लिए बाध्य

करे। यह पक्षकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन साक्ष्य को तौलने में, न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान दे सकता है कि सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया है, और एक प्रतिकूल अनुमान लगा सकता है। न्यायालय को अधिकांशतः पक्षकारों द्वारा लगाए गए आरोपों या साक्ष्य में प्राप्त तथ्यों के अनिर्णायक अनुमान पर निर्भर रहना होगा। ऐसे मामलों में न्यायालय को धारा के दूसरे भाग के तहत कार्य करना होगा। कई बार न्यायालय द्वारा निर्देशित गवाहों की परीक्षा का परिणाम ''खामियों को भरना'' माना जा सकता है। यह विशुद्ध रूप से एक सहायक कारक है और इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। नया साक्ष्य आवश्यक है या नहीं, यह निश्चित रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, और इसका निर्धारण पीठासीन न्यायाधीश को करना होगा।

10. धारा 311 का उद्देश्य न केवल अभियुक्त और अभियोजन के दृष्टिकोण से बल्कि व्यवस्थित समाज के दृष्टिकोण से भी साक्ष्य को अभिलेख पर लाना है। यदि न्यायालय द्वारा बुलाया गया कोई गवाह परिवादी के खिलाफ साक्ष्य देता है तो उसकी प्रति परीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा बुलाए गए किसी साक्षी की प्रति परीक्षा करने का अधिकार धारा 311 के प्रावधानों के अंतर्गत नही बल्कि साक्ष्य अधिनियम, जो किसी पक्षकार को ऐसे साक्षी की जो उसका साक्षी नहीं है, की प्रति परीक्षा का अधिकार देता है, के अंतर्गत उत्पन्न होता है। चूंकि न्यायालय द्वारा बुलाए गए गवाह को किसी विशेष पक्ष का गवाह नहीं कहा जा सकता, इसलिए न्यायालय को शिकायतकर्ता को जिरह का अधिकार देना चाहिए। जमातराज केवलजी गोवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1967 (3) एससीआर 415) मामले में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था।

11. जाहिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य। [(2006) 3 एससीसी 374] में उपरोक्त स्थिति पर प्रकाश डाला गया था।

12. मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों में हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय को अपीलकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए थी। ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना को अस्वीकार करना उचित नहीं था और उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं करना चाहिए था।

13. अपील स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय तीन महीने के भीतर एक तारीख तय करेगा और प्रश्नगत गवाहों को बुलाएगा और अभियुक्त व्यक्तियों को अवसर देगा और उसके बाद विचारण में अग्रसर होगा।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी ममता मेनारिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।